दिनांक 20.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 20/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.10.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवा हास्पिटल के पास ओवर ब्रिज के नीचे से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–आनन्द उर्फ अन्नू 2–अजीत प्रताप उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–665/2021 धारा 147/148/140/302/307/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– आनन्द उर्फ अन्नू निवासी सरायरासी थाना महराजगंज जनपद अयोध्या, हालपता–अश्वनीपुरम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

2–अर्जित प्रताप उर्फ शिवम निवासी छाछापारा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, हालपता–गोला बाजार चौराहा थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या।

जनपद एटा/थाना जसरथपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19.10.2021 की सायं थाना जसरथपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महाराजपुर से पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त

हरिओम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, रामपुर, कासगंज, फर्रूखाबाद, मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आदि के 28 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जसरथपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2020 धारा 307/323/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 90/2021 धारा 174ए भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जसरथपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—हरिओम निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर जनपद एटा।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.10.2021 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बिसरख क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिसरख पर पंजीकृत मु0अ0सं0—826/2021 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— विनोद निवासी काजी चक थाना महेश खुट जनपद खंगडिया बिहार, हालपता—छोटी मिल्क थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन।

जनपद सीतापुर/थाना बिसवां

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की चॉदी के आभूषण**
- **11 हजार 400 रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.10.2021 को थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बिसवां क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—माधव 2—उमेश 3—आबिद अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की चॉदी के आभूषण, 11 हजार 400 रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बिसवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—माधव निवासी भैसी सैदापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

2—उमेश निवासी बेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

3—आबिद अली निवासी ग्राम जालिमपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की चॉदी के आभूषण।

2— 11 हजार 400 रूपये नगद।

3— 02 मोटर साइकिल।

4— 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

●10 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

●लूटा हुआ सोने का आभूषण

●02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस

●02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 20.10.2021 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठौता मोड़ जीटी रोड कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—विपिन कुमार सहित 03 अभियुक्तों 2—राजेश 3—धीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटा हुआ सोने का आभूषण, 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विपिन कुमार के विरूद्ध जनपद भदोही, प्रयागराज के विभिन्न थानों पर लूट,चोरी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट आदि 14 अभियोग व अभियुक्त राजेश के विरूद्ध जनपद भदोही, सोनभद्र के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विपिन कुमार थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– विपिन कुमार निवासी मवैया थाना औद्योगिकनगर क्षेत्र जनपद प्रयागराज।

2–राजेश निवासी केदारपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

3–धीरज निवासी बैदाखास थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

बरामदगी

1–लूटा हुआ सोने का आभूषण।

2– 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस।

3– 02 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना नगीना

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी की सामान**
- **01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.10.2021 को थाना नगीना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुन्दकी तिराहे से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–नदीम 2–नाजिम 3–नफीस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के सामान, 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नदीम के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त नाजिम व अभियुक्त नफीस के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नदीम निवासी मोहल्ला फीना कालोनी अहमद नगर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2–नाजिम निवासी मोहल्ला फीना कालोनी अहमद नगर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3–नफीस निवासी मोहल्ला तकिया हुसैन शाह थाना कोतवाली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी की सामान।

2–01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस।

3– 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित कारतूस आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कांट

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 220 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 20.10.2021 को थाना कांट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहमतपुर रोड के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–जफर 2–शमीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 220 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कांट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जफर निवासी रहमतपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

2–शमीम निवासी रहमतपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 220 ग्राम फाइन क्वालिटी की अवैध अफीम।

जनपद झॉसी/थाना बडागॉव

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 50 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अल्टो कार बरामद**

दिनांक 19.10.2021 को सायं थाना बडागॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बडागॉव क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 03 मादक पदार्थ तस्करों 1–आशीष 2–मनोज कुमार 3–श्याम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 50 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, 01 अल्टो कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बडागॉव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष निवासी ग्राम कुशमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन, हालपता– काल्पी बस स्टैण्ड के पास मो0 न्यू पटेलनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

2–मनोज कुमार निवासी ग्राम पिण्डारी थाना एट जनपद जालौन हालपता मोहल्ला राजेन्द्रनगर उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

3–श्याम निवासी मोहल्ला राजेन्द्रनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी

1– लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 50 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2– 01 अल्टो कार।

जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 हजार लीटर अवैध अपमिश्रित शराब**
- **52 हजार स्टीकर**
- **10 हजार क्यू आर कोड**
- **59 हजार शीशी ढक्कन**
- **1300 शीशियॉ**
- **01 पैकिंग मशीन**
- **अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामाग्री आदि बरामद**

दिनांक 20.10.2021 को थाना महमूदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना महमूदाबाद क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–विमलेश कुमार 2–विकास उर्फ गोलू 3–अवधेश 4–शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 हजार लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 52 हजार स्टीकर, 10 हजार क्यू आर कोड, 59 हजार शीशी ढक्कन, 1300 शीशियॉ, 01 पैकिंग मशीन, अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामाग्री आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना महमूदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विमलेश कुमार निवासी शरफापुर हालपता–ग्राम जैनापुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

2–विकास उर्फ गोलू निवासी गायत्रीपुरम् शेरापुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

3–अवधेश निवासी रिबियापुर थाना सदरपुरन जनपद सीतापुर।

4–शैलेन्द्र निवासी रामपुर निजामपुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–02 हजार लीटर अवैध अपमिश्रित शराब।

2– 52 हजार स्टीकर।

3– 10 हजार क्यू आर कोड।

4–, 59 हजार शीशी ढक्कन।

5– 1300 शीशियॉ।

6–01 पैकिंग मशीन।

7– अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामाग्री आदि।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना सकरन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोट संख्याः 15 जनपद सीतापुर द्वारा थाना सकरन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376घ/302 भादवि में अभियुक्तों 1–सहीराम 2–रामू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एटीएसः शस्त्रों व कारतूसों की तस्करी करने वाला एक तस्कर एटीएस उ.प्र. द्वारा गिरफ्तार, प्रतिबंधित बोर के कारतूसों सहित कुल 06 पिस्टल बरामद</u>

उ.प्र. एटीएस को आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध शस्त्रों की तस्करी में संलिप्त है और पिस्टल व कारतूसों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। ये तस्कर हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आज दिनांक 20.10.21 को जनपद कानपुर में आने वाले हैं।

इस सूचना को पुष्ट करते हुए यूपी एटीएस ने स्थानीय पुलिस थाना–बाबू पुरवा, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर को सूचना देकर पुलिस बल की मांग की व स्थानीय पुलिस तथा एटीएस की संयुक्त टीम बनाकर झकर कटी बस स्टॉप से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। पकडे गए आरोपी की पहचान अभिषेक पाल पुत्र रामधनी पाल निवासी–ग्रामः रतापुर, थाना–पीपरपुर, जिला–अमेठी, उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई जबकि मौके से भाग जाने में सफल रहे

अभियुक्त की पहचान अनिल कुमार मौर्य पुत्र राम शंकर मौर्य निवासी ग्राम—अयोध्या नगर, थाना— पीपरपुर, जिला—अमेठी के रूप में हुई है।

इस सम्बन्ध में मु.अ.सं.— 197/2021 अंतर्गत धारा— 3,25(1—AA) आयुध अधिनियम—1959 थाना—बाबू पुरवा, पुलिस कमिश्नरेट—कानपुर नगर पर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>बरामदगी</u>

पिस्टल (.32बोर) 6 अदद

मैगजीन 12 अदद

कारतूस (7.62 X .25 प्रतिबंधित बोर) 20 अदद

मोबाइल फ़ोन (ओप्पो) 1 अदद

<u>विवरण अभियुक्त</u>

अभिषेक पाल पुत्र रामधनी पाल **(गिरफ्तार)**

निवासी ग्रामः रतापुर, थाना—पीपरपुर, जिला—अमेठी

अनिल कुमार मौर्य पुत्र राम शंकर मौर्य **(मौके से फरार)**

निवासी ग्राम—अयोध्या नगर, थाना—पीपरपुर, जिला—अमेठी

—————